जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, हरियाणा
PUBLIC HEALTH ENGINEERING DEPARTMENT, HARYANA
Bays No. 13-18, Sector - 4, Panchkula - 134112
Ph. 0172-2561672 | Fax: 0172-2560237 | Website: wss.hry.nic.in
SNK Toll Free No. 1800-180-5678

From

The Engineer-in-Chief, Haryana
Public Health Engineering Department
Panchkula

To

All Superintending Engineers/
All Executive Engineers in
Public Health Engineering Department, Haryana.

Memo No. 44847-918-PHE/Plg. Dated, the 19.05.2017

Subject:- Haryana Government Gazette Notification No. 19/1/2017-3-PH Dated 03.04.2017 – Rural area.

Kindly refer to the subject noted above,

I am directed to forward you a copy of Haryana Government Gazette Notification No. 19/1/2017-3-PH Dated 03.04.2017 on water charges in the Rural area for your information and necessary action.

You are requested to comply with the said notifications and the same be brought into the notice of all concerned for strict compliance.

DA/ As Above

Executive Engineer (Planning)
For Engineer-in-Chief, Haryana, PHED.
19.5.17

Endst. No. 44919 - 44936 -PHE/Plg Dated 19.05.2017

A copy of the above alongwith agenda items is forwarded to the following for information and necessary action in continuation to endst No. 38818-38834-PHE/Plg Dated 03.05.2017:-

1. PS to Engineer-in-Chief, Haryana, PHED, Panchkula for information of EIC.
2. Chief Engineers (Rural/Programme/Urban/Project/Mech.) in Head Office, Panchkula.
3. Director, WSSO in Head Office, Panchkula..
4. All the Superintending Engineers/All Executive Engineers in Head office.

DA/ As Above

Executive Engineer (Planning)
For Engineer-in-Chief, Haryana, PHED
19.5.17

Regd. No. CHD/0093/2015–2017

Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 58-2017/Ext.] CHANDIGARH, MONDAY, APRIL 3, 2017 (CHAITRA 13, 1939 SAKA)

हरियाणा सरकार

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग

अधिसूचना

दिनांक 3 अप्रैल, 2017

संख्या 19/1/2017–3 PH.– हरियाणा सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना संख्या 11/79/89–पी.एच.–(4) दिनांक 9/10 जनवरी, 1991 और जलप्रभार तथा जल कनैक्शन फीस/शुल्क के लिए समय–समय पर जारी आदेशों के अधिक्रमण में हरियाणा के राज्यपाल, उन गांवों के लिये जो कि नगरपालिका क्षेत्रों के अन्तर्गत नहीं आते हैं, के लिये जलप्रभार/शुल्क दर, जल कनैक्शन शुल्क तथा अन्य दरों को संशोधित करते हैं, जो कि इस प्रकार हैं:–

क्रमांक	कनैक्शन के प्रकार	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग/ग्राम पंचायतें।	
1.	घरेलू (मीटर युक्त आपूर्ति)	2/– रुपये प्रति किलो लिटर (आधार दर)	
2.	घरेलू (मीटर के बिना आपूर्ति)	अनुसूचित जाति के परिवारों को छोड़कर सामान्य क्षेणी के लिए	40/– रुपये प्रति कनैक्शन प्रति माह
		अनुसूचित जाति के परिवारों के लिए	20/– रुपये प्रति कनैक्शन प्रति माह
3.	औद्योगिक/ व्यावसायिक जलापूर्ति (मीटर युक्त जलापूर्ति)	मीटर के द्वारा कनैक्शन	10/– रुपये प्रति किलो लिटर
		बिना मीटर के आपूर्ति	अनुमति नहीं है
4.	संस्थान में जलापूर्ति (मीटर युक्त जलापूर्ति)	मीटर के द्वारा कनैक्शन	5/– रुपये प्रति किलो लिटर
		बिना मीटर के आपूर्ति	अनुमति नहीं है
5.	घरेलू/औद्योगिक/व्यावसायिक/संस्थानों में सीवरेज प्रभार	पानी के बिल का 25 प्रतिशत	
6.	सीवरेज प्रभार जहां सरकार द्वारा पानी का स्वीकृत कनैक्शन नहीं है		
	घरेलू	20/– रुपये प्रति माह	

7.	कनैक्शन फीस (एक ही बार, गैर वापसी)		
	(क) घरेलू	नया जलापूर्ति का कनैक्शन	500/– रुपये प्रति कनैक्शन
		नया सीवर का कनैक्शन	500/– रुपये प्रति कनैक्शन
	(ख) संस्थानों/औद्योगिक व्यावसायिक उपभोक्ताओं के लिए	नया जलापूर्ति का कनैक्शन	2000/– रुपये प्रति कनैक्शन
		नया सीवर का कनैक्शन	2000/– रुपये प्रति कनैक्शन
8.	मल शोधन सयन्त्रों की साईट पर शोधित effulent (जल प्रवाह) की खपत कृषि सिंचाई को छोड़ कर 2/– रुपये किलो प्रति लिटर की दर से आपूर्ति की जाएगी। जहां पर बुलियादी ढांचा पहले से ही स्थापित है, वहां औद्योगिक इकाई के द्वार पर शोधित effulent (जल प्रवाह) की खपत 3/– रुपये प्रति किलो लिटर की दर से वसूल की जाएगी।		

अन्य नियम एवं शर्तें:–

1. कैशलैस लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए भारत इन्टरफोस फार मनी एप्प (BHIM APP) के द्वारा बिजली बिल, जल एवं सीवरेज बिल का भुगतान करने पर उपभोक्ताओं को बिल राशि पर 5 प्रतिशत या अधिकतम 50/– रुपये जो भी कम हो, तक की छूट दी जायेगी। यह छूट 1 अप्रैल, 2017 से एक साल के लिए बढ़ाई जाएगी।

2. घरेलू कनैक्शन के लिए न्यूनतम मासिक बिल 40/– रुपये तथा संस्थागत/औद्योगिक/व्यावसायिक मीटर युक्त कनैक्शन के लिए 500/– प्रति कनैक्शन प्रति माह, जल की उपयोग की गई मात्रा को आधार बनाये बिना, की दर से लिया जाएगा।

3. घरेलू और संस्थागत/औद्योगिक/व्यावसायिक कनैक्शन के लिए मीटर परीक्षण और सीलींग शुल्क क्रमशः 50/– रुपये तथा 100/– रुपये वसूल की जायेगी।

4. जलपूर्ति कनैक्शन को स्थाई एवं अस्थाई तौर पर कटवाने के लिए 500/– रुपये शुल्क लिया जायेगा। जोकि घर की मलकीयत स्वेच्छा से बदलने के कारण या घर के स्वामित्व परिवर्तन के कारण मजबूर करने के कारण या जलापूर्ति का बिल ना जमा करवाने या किसी अन्य कारण से हो सकती है।

5. घरेलू जलापूर्ति का कनैक्शन जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग के कर्मचारी की उपस्थिति में मौके पर ही दे दिया जाएगा और 100 प्रतिशत मीटरिंग और स्वीकृत किये हुए फरूल के आकार (साईज) सुनिश्चित करने के लिए जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग द्वारा पंजीकृत नलसाज (पलम्बर) द्वारा करना होगा। पंजीकृत नलसाजों (पलम्बरों) की सूची नलसाज (पलम्बर) द्वारा लिए जाने वाले शुल्क सहित विभाग की वेबसाइट पर दर्शाई जायेगी। उपभोक्ता द्वारा निजी जलापूर्ति कनैक्शन के लिए लगने वाला सारा सामान (सामग्री) अलग से उपलब्ध करवाना होगा।

6. 10 मिलीमीटर से अधिक फैरूल आकार का कोई भी जलापूर्ति का कनैक्शन स्वीकृत नहीं किया जायेगा। यदि वर्तमान में 10 मिलीमीटर से अधिक फैरूल आकार का कोई भी जलापूर्ति का कनैक्शन पाया जाता है तो उस जलापूर्ति के कनैक्शन को उपरोक्त दर्शाए गए प्रावधान के अनुसार कम किया जाएगा अथवा इस जलापूर्ति के कनैक्शन को मीटर युक्त कनैक्शन में बदल दिया जाएगा।

7. पानी का मीटर विनिर्देश IP 68, ISI Marked या समय–समय पर विनिर्देश के अनुसार स्थापित होना चाहिए।

8. विभाग जल की आपूर्ति केवल भूमि तल पर ही करेगा।

9. यदि घर का कोई भाग घरेलू उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं हो रहा है तो सम्पूर्ण जलापूर्ति संस्थागत/औद्योगिक/व्यावसायिक की दर से वसूल की जायेगी। परन्तु जलापूर्ति कनैक्शन दर से वसूली, उपभोक्ता को उसकी गतिविधि को किसी अन्य सरकारी एजेन्सी या विभाग द्वारा किसी भी तरह से संस्थागत/व्यावसायिक/परिसरों के रूप में लाभ प्राप्त करने का अधिकार नहीं होगा।

10. किसी घर/परिसर के बंद पाए जाने की स्थिति में न्यूनतम मासिक प्रभार घरेलू कनैक्शन के लिए 40/– रुपये प्रति कनैक्शन प्रति मास तथा संस्थागत/औद्योगिक/व्यावसायिक कनैक्शन के लिए 500/– रुपये प्रति कनैक्शन प्रति मास ली जाएगी जो कि मीटर की रीडिंग को विचार किये बिना होगी तथा बाद में मीटर रीडिंग के आधार पर राशि आगामी बिल में यह समायोजित कर दी जाएगी।

11. यदि विभाग द्वारा कोई गैर अधीकृत/गैर कानूनी जलापूर्ति और सीवर कनैक्शन पाया जाता है, तो उसे तुरंत काट दिया जाएगा और 1000/– रुपये घरेलू कनैक्शन के लिए और 2000/– रुपये संस्थागत/व्यावसायिक/औद्योगिक कनैक्शनों के लिये उपभोक्ताओं पर जुर्माना लगाया जाएगा।

12. संस्थागत/औद्योगिक/व्यावसायिक परिसरों में जलापूर्ति का कनैक्शन केवल पीने, खाना बनाने, नहाने, बर्तन धोने और घर, स्नानघर/शौचालय में प्रयोग और कपड़े धोने के लिए उपलब्ध कराया जाएगा, न कि किन्हीं दूसरे कार्यों के लिए।

13. (क) जलापूर्ति के बिल की राशि बिल के जारी से तीस (30) दिन के अन्दर नकद/बैंक ड्रॉफट/आन लाईन पेमैंट/विभिन्न एप्प के द्वारा उपभोक्ता द्वारा जमा करवानी होगी।

(ख) जहां पानी के बिलों का भुगतान देय तिथि के अन्दर नहीं किया जाता है, वहाँ केवल चालू बिलों पर एक बार के लिए 10 प्रतिशत सरचार्ज/जुर्माना (दण्ड) लगेगा, न कि आगामी बिलों में बिल की कुल राशि पर लगेगा।

(ग) प्रथम लम्बित बिल के भुगतान की देय तिथि से छह मास के अन्दर पानी के बिलों की पूरी राशि का भुगतान न करने की दशा में ऐसे उपभोक्ताओं के पानी के कनैक्शन काट दिए जायेंगे।

14. जलापूर्ति बिल के सम्बन्ध में उत्पन्न हुए किसी भी विवाद के लिए उपभोक्ता जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग के सम्बन्धित कार्यकारी अभियन्ता से विवादित राशि की 50 प्रतिशत राशि जमा करवाने के उपरान्त विवाद के लिए प्रार्थना पत्र लगाएगा। काई भी प्रार्थना पत्र जिस के साथ 50 प्रतिशत राशि जमा कराने का सबूत संलग्न नहीं होगा, अस्वीकृत कर दिया जायेगा। प्रार्थी की पूरी बात सुनने के बाद कार्यकारी अभियन्ता अपनास निर्णय 30 दिन के अन्दर देगा। उपभोक्ता जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग के सम्बन्धित अधीक्षक अभियन्ता के पास, कार्यकारी अभियन्ता द्वारा जारी आदेशों के 30 दिनों के अन्दर, विवाद निवारण हेतु अपील दायर कर सकता है, यदि उसने विवादित राशि की 50 प्रतिशत राशि जमा कर रखी है। प्राथी को पूरी सुनवाई का मौका देने के बाद अधिक्षक अभियन्ता का निर्णय अन्तिम होगा तथा दोनों पक्षों के लिए बाध्य होगा। यदि उपभोक्ता फिर भी असंतुष्ट है तो वह प्राकृतिक न्याय के तहत इस अधिसूचना के अन्य नियम तथा शर्तों के प्रयोजन की समाप्ती के बाद कानूनी सहायता ले सकता है।

15. विभाग द्वारा यदि कोई अस्वच्छ कनैक्शन पाया जाता है तो उसे कोई नोटिस दिए बिना काट दिया जायेगा तथा उपभोक्ता द्वारा आवश्यक सुधार करने के उपरान्त ही उसे पुनः स्थापित किया जायेगा तथा ऐसे विषय में 1000/– रुपये जुर्माने या दण्ड के रूप में वसूल किये जायेंगे।

16. जलापूर्ति लाईन पर सीधे लगे विधुत चालित पम्पों को किसी भी अवस्था में किसी भी उपभोक्ता को जारी रखने की अनुमति नहीं दी जायेगी। जहां कही भी जलापूर्ति लाईन पर सीधे विधुत चालित पम्प लगाए हुए पाये जाते हैं, तो उपभोक्ता पर 1200/– रुपये की दर से जुर्माना लगाया जायेगा। जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग द्वारा लाईन पर सीधा लगा पम्प जब्त कर लिया जायेगा तथा दोषी उपभोक्ता की जल आपूर्ति काट दी जायेगी।

17. नगरपालिका क्षेत्रों में पड़ने वाले गावों में पीने के जलापूर्ति के निजी कनैक्शनों के लिए और जहां पर जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग पेयजल एवं सीवर सुविधाएं देने के लिए सहमत है, तो, घरेलू/संस्थागत/औद्योगिक/व्यावसायिक परिसरों के लिए जलापूर्ति व सीवर की दरें शहरी क्षेत्रों में लगने वाली दरों के हिसाब से ली जाएगी।

18. कंकरीट सड़क की मरम्मत के लिए 2680/– रुपये प्रति पानी के कनैक्शन और अन्य प्रकार की सड़क के लिए 1341/– रुपये प्रति जल कनैक्शन की दर से सड़क कटाव प्रभार के रुप में लिया जाएगा तथा कंकरीट सड़क की मरम्मत के लिए 4020/– रुपये प्रति सीवर कनैक्शन और अन्य प्रकार की सड़क के लिए 2680/– रुपये प्रति सीवर कनैक्शन की दर से सड़क कटाव प्रभार के रुप में लिया जाएगा। सड़क कटाव की दर में हर साल 5 प्रतिशत की दर से प्रत्येक साल के पहले दिन से बढ़ोतरी की जाएगी

19. जहां वर्तमान में जल वितरण प्रणाली और संतोषजनक पीने हेतु जल उपलब्ध होगा, निजी जलापूर्ति का कनैक्शन केवल उसी क्षेत्र में दिया जायेगा। जल वितरण प्रणाली की राईजिंग मेन (मुख्य पाईप लाईन) से कोई भी कनैक्शन नहीं दिया जाएगा। इसको अधिकार के मामलों के रुप में नहीं माना जाएगा।

20. औद्योगिक सीवर कनैक्शन के मामले में उपभोक्ता यह सुनिश्चित करेगा कि सीवरेज प्रणाली में छोड़ा जाने वाला गन्दा पानी हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (HSPCB)/केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के वर्तमान निर्धारित मानकों के अनुसार है। किसी भी औद्योगिक इकाई को औद्योगिक कचरा सीवरेज प्रणाली में छोड़े जाने की अनुमति नहीं होगी। दोषी पाये जाने पर सीवर कनैक्शन काट दिया जायेगा और इसे गैर कानूनी गतिविधि मानते हुए कानून के तहत कार्यवाही की जायेगी।

21. घरेलू कनैक्शन को औद्योगिक/अर्ध–व्यावसायिक/व्यावसायिक की नई श्रेणी में बदलवाने का कार्य जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के संबंधित उपमण्डल अभियन्ता के द्वारा किया जाएगा तथा आगामी बिल में अतिरिक्त फीस वसूल की जाएगी।

22. उपरोक्त नियम इस अधिसूचना के जारी होने से अगले महीने के पहले दिन से लागू होगी।

संजीव कौशल,
अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग।

HARYANA GOVERNMENT

PUBLIC HEALTH ENGINEERING DEPARTMENT

Notification

The 3rd April, 2017

No. 19/1/2017-3PH.— In supersession of Haryana Government Notification issued *vide* No. 11/79/89-PH (4) dated 9th/10th January, 1991 and instruction issued from time to time on water charges and water connections fees, the Governor of Haryana is pleased to revise the rates on tariff of water charges, water connection fee and other rates for villages other than villages falling under Municipal areas as below:-

Sr. No.	Type of connection	PHED/ village Panchayats	
1.	Domestic (metered supply)	Rs. 2/- Per kilo litre (base rate).	
2.	Domestic (un-metered supply)	For general category other than SC households.	Rs. 40/- per connection per month
		For SC households	Rs. 20/- per connection per month
3.	Water supply in Industrial/ Commercial (metered water supply)	Metered connections	Rs. 10/- per kilo litre
		Un-metered supply	Not allowed
4.	Water supply in Institution (metered water supply)	Metered connections	Rs. 5/- per kilo litre
		Un-metered supply	Not allowed
5.	Sewerage charges in domestic/ Industrial/ commercial/ institutional areas	25% of water bills	
6.	Sewerage Charges where Government water connection not sanctioned		
	Domestic	Rs. 20/- per month	
7.	**Connection Fee** (One time, Non-refundable)		
	(a) Domestic	New water supply connection	Rs. 500/- per connection
		New Sewer connection	Rs. 500/- per connection
	(b) Institutional/ Industrial/ Commercial consumer	New water supply connection	Rs. 2000/- per connection
		New Sewer connection	Rs. 2000/- per connection
8.	The rate for supply of treated effluent at STP site for consumption other than agriculture shall be Rs. 2/- per Kilo Litre (KL). The rate for treated effluent at door step of industrial unit shall be Rs. 3/- per Kilo Litre in case the infrastructure already exits.		

Other terms and conditions:-

(1) To promote cash less transactions, a discount of 5% of the bill amount subject to maximum of Rs. 50/- whichever is less may be given to the consumers for making payments of electricity bill, water & sewerage bills through Bharat Interface for Money (BHIM) App. The discount may be extended from 1st April, 2017 for one year.

(2) Minimum monthly bill @ Rs. 40/- per connection per month for domestic and @ Rs. 500/- per connection per month for Institutional/ Industrial/ Commercial irrespective of the consumption for metered connection shall be charged.

(3) Meter testing and sealing charges shall be charged @ Rs. 50/- for domestic connections and Rs. 100/- for Institutional/ Industrial/ Commercial connections respectively.

(4) A fee of Rs. 500/- shall be charged for dis-connection of water supply connection temporarily or permanently, which may be voluntary due to change of ownership etc. or forced due to change of ownership etc. or forced due to non payment or any other reasons.

(5) The house water connections will be released at site in presence of staff of Public Health Engineering Department and is to be released through plumbers registered by Public Health Engineering Department to ensure 100% metering and sanctioned ferrule size. The list of registered plumber shall be displayed by the concerned authorities along-with fee to be charged by plumber on website. All the materials to be used for making private water connections and labour involved shall be arranged by consumers separately.

(6) No connection with ferrule size more than 10 millimetre shall be allowed. Any existing connection with more than 10 millimetre size ferrule shall be reduced as per the provision mentioned above or it will be got converted into a metered connection otherwise.

(7) The meter, to be installed shall be of specificaitons IP 68 ISI marked or as specified from time to time.

(8) The Department shall supply the water at ground level only.

(9) If any part of the house is used for purposes other than domestic, then the rates for wholeof the water supply shall be charged at the Institutional/Industrial/Commercial rates. However, levy of Institutional/Industrial/ Commerical rates for the water supply connection shall not confer any right to the occupant to get the advantage of being treated as Institutional /Industrial/ Commercial premises by any other Government agency or Department, in any way.

(10) In case houses/premises are found locked, minimum monthly charges of @ Rs. 40/- per conction per month for domestic and @ Rs. 500/- per connection per month for Institutional/ Industrial/ Commercial shall be levied, irrespective of meter reading and the same will be adjusted in subsequent bills based upon actual meter reading.

(11) If any unauthorized/ illegal water of sewer connection is detected by the Department, the same shall be disconnected immediately and a penalty of Rs. 1000/- for domestic connection and Rs. 2000/- for Institutional/ commercial/ Industrual connections shall be imposed on the consumers.

(12) Water connections for institutional/ Industrial/ Commercial are allowed only for drinking, cooking, bathing, washing utensils & house, ablution/ toilets & washing of clothes etc. and not for other processes.

(13) (a) The water charges shall be paid by the consumer either by depositing the billed amount in cash/ bank draft/ online payment/ various Apps within thirty days from the issue of the bill.

(b) Where the water charges amount is not paid within due date, then one time surcharge/penalty @ 10% shall be levied on current bill only and not on total amount of bill in subsequent bills.

(c) In case of non-payment of complete amount of water charges within six months from the due date of payment of first pending bill, the water connectionof such consumers may be disconnected.

(14) In case of any dispute of water bills, the consumer shall approach to the concerned Executive Engineer of Public Health Engineering Department (PHED) for dispute redressal by paying 50% of the disputed amount along-with the application. The application, not accompanied with the proof of deposit of 50% amount, shall be rejected. The Executive Engineer shall convey his decision within a period of 50% amount, shall be rejected. The Executive Engineer shall convey his decision within a period of 30 days after giving due opportunity to the applicant. The consumer can file an appeal to the concerned Superintending Engineer of Public Health Engineering Department within thirty days of issues of the order of dispute redressal by the Executive Engineer provided the consumer had paid 50% of the disputed amount. The decision of superintending Engineer shall be final and binding on both the parties after giving due opportunity of hearing to the applicant. If still unsatisfied, the consumer can seek legal remedies, as per natural law of justice, after exhausting the provisions of other terms & conditions of this notification.

(15) Any insanitary connection, if detected, by the Department, shall be disconnected immediately without giving any notice and shall be restored only after necessary rectification by the consumers and a fee of Rs. 1000/- shall charged by the Department as fine or penalty in such cases.

(16) Electric pumps installed directly on water supply pipeline shall not be allowed to any consumer. Wherever, the electric pumps installed directly on water supply pipeline is detected a penalty of Rs. 1200/- shall be levied. Public Health Engineering Department shall confiscate online pumps and water supply to the defaulting consumers shall be disconnected.

(17) For the private water supply connections in the villages falling within the Municipal area and where Public Health Engineering Department has agreed to provide services to villages, then the water and sewerage rates of Domestic/ Institutional/ Industrial/ Commercial shall be charged at the same rates as applicable for the Urban Areas.

(18) Road cut charges for water connections shall be charged @ Rs. 2680/- per connection for concrete roads and @ Rs. 1341/- per connection for all other type of Roads. Further, the road cut charges for sewer connections shall be charged @ Rs. 4020/- per connection for concrete Roads and @ Rs. 2680/- per connection for all other types of roads. Rate of road cut charges shall be increased @ 5% per year w.e.f. 1st day of the each calendar year.

(19) Private water connections wil be provided only in the area, where distribution system exists and sufficient drinking water is available. No water connection will be allowed from the rising mains of the water supply system. These cannot be treated as a matter of right.

(20) In case of sewer connection to the Industry, the consumer shall ensure that the effluent discharged in the sewerage system meets the latest prescribed standards of Haryana State Pollution Control Board (HSPCB) / Central Pollution Contro Board(CPCB). No Industrial Unit shall be allowed to discharge industrial waste in the sewerage system. In case of default, the sewer connection shall be dis-connected and action will be taken as per provisions of Law by considering it as a illegal activity.

(21) In case of change of connection type *i.e.* from Institutional/ Industrial/ Semi-Commercial/ Commercial rates, the connection will be converted into the new category by concerned Sub Divisional Engineer of Public Health Engineering Department. The additional fees will be charged in the subsequent bill.

(22) The provision stated above shall come into force from the first day of the next month of issue of this notification.

SANJEEV KAUSHAL,
Additional Chief Secretary to Government Haryana,
Public Health Engineering Department.

55192—C.S. —H.G.P., Chd.